No. CD-11012/01/2020-Coord.

Government of India

Ministry of Road Transport & Highways

(Coordination Section)

Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 11th June, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of May, 2021.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of May, 2021 is enclosed herewith for information.

Prashant Kumar

(Prashant Kumar)
Section Officer(Coord)

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavan New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of May, 2021.

1. **Award and construction of National Highways**: The Ministry has constructed 1,470 km of National Highways in May, 2021 as compared to 847 km in May, 2020. The award figure is 663 km in this month as compared to 747 km in the same month previous year.

2. **Toll Fee exemption for tankers carrying Liquid Medical Oxygen**: In order to provide uninterrupted passage for tankers and containers carrying Liquid Medical Oxygen (LMO) across National Highways, the Ministry has issued instructions on 07th May, 2021 to exempt user fee for such vehicles at Toll Plazas. Keeping in view the current unprecedented demand of the Medical Oxygen across the country due to COVID-19 Pandemic, containers carrying Liquid Medical Oxygen will be treated at par with other emergency vehicles such as ambulances for a period of two months or till further orders.

3. **Modern concepts of tunneling**: An International Webinar was hosted by Indian Roads Congress, Ministry for Road Transport & Highways and World Road Organization on 05th May, 2021 on Road Tunnel Recent Trends, Innovations & Way Forward. Addressing the Webinar through video conferencing, Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister for Road Transport & Highways and MSMEs highlighted the need to look at ways to create 'tunnels and immersed tunnels under the rivers and sea using pre-cast technology'. He urged the stakeholders to come out with cost-effective and modern technologies for tunneling to reduce capital expenditure without compromising on safety aspects.

4. **Rolling Resistance, Wet Grip and Rolling Sound for tyres**: The Ministry has issued a draft notification on 17th May 2021 to amend Rule 95 of the Central Motor Vehicles Rules 1989. It is proposed to align the requirements of Rolling Resistance, Wet Grip and Rolling Sound emission of tyres with State-2 of European Regulations. The rolling resistance has a bearing on fuel efficiency

and wet grip is related to braking performance of tyres under wet road conditions.

5. **Electric power trains of Hybrid Agricultural Tractors and Pure Electric Agricultural Tractors:** The Ministry, vide notification dated 25th May 2021, has amended the Central Motor Vehicle Rules 1989 to insert a new rule 125J, to include safety requirements in respect of electric power trains of Hybrid Agricultural Tractors and Pure Electric Agricultural Tractors. Electric Power Trains of Agricultural Tractors of category A6(Hybrid) and A7(Pure Electric), manufactured on and after 25th May, 2021, shall conform to the requirements of Automotive Industry Standard (AIS) 168:2021, as amended from time to time, till such time as the corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified.

6. **Safety standards for ethanol and its blends:** The Ministry, vide notification dated 25th May 2021, has amended the Central Motor Vehicle Rules 1989 to insert a new rule 115K, incorporating safety requirements for motor vehicles of Categories L (two and three wheelers, and quadric-cycles), M (four wheelers and above, carrying passengers) and N (four wheelers and above, carrying goods) running on anhydrous ethanol or blends of ethanol with gasoline. These safety requirements shall be in accordance with AIS 171:2021, as amended from time to time, till the corresponding standard is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (of 2016).

7. **Exemption to Battery Operated Vehicles from the payment of fees:** The Ministry, vide draft notification dated 27th May 2021, has proposed to exempt Battery Operated Vehicles from the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of new registration mark. This has been notified to encourage e- mobility. Comments have been sought from concerned stakeholders.

8. **Trained drivers for transporting "Hazardous Cargo":** During the ongoing Covid-19 pandemic, major focus has been on quick and smooth transportation of Liquid Oxygen (LOX) to various parts of the country. As per extant rules, only trained drivers with adequate training and having 'hazardous cargo'

license are allowed to operate the Liquid Oxygen (LOX) trucks. In this context, the Ministry vide letter dated 20th May, 2021 has advised all States / Union Territories to create a pool of trained drivers. The immediate focus is to make available around 500 drivers in the next few weeks which will be increased to 2500 by the end of two months.

9. **Standing Finance Committee (SFC) meetings**: In the month of May, 2021, a total 3 nos. of projects were considered by the Standing Finance Committee. The 3 projects of length 95.92 Km and total capital cost of Rs. 9130.93 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

*****

<u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u>

विषय: मंत्रिमंडल के लिए मई, 2021 माह का मासिक सारांश।

1. **<u>राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण</u>** : मंत्रालय ने मई, 2020 की 847 किलोमीटर की तुलना में मई 2021 तक 1,470 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। इस अवधि के दौरान सौंपा गया आंकड़ा 663 किलोमीटर है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 747 किमी था।

2. **<u>लिक्विड मेडीकल ऑक्सीजन वाले टैंकरों के लिए टोल शुल्क से छूट</u>** : राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिक्विड मेडीकल ऑक्सीजन (एलएमओ) वाले टैंकरों और कंटेनरों के लिए निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने 07 मई, 2021 को ऐसे वाहनों के लिए टोल प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क से छूट देने के निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की वर्तमान अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखते हुए लिक्विड मेडीकल ऑक्सीजन वाले कंटेनरों को दो महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक एम्बुलेंस जैसे अन्य आपातकालीन वाहनों के समान माना जाएगा।

3. **<u>सुरंग खोदने की आधुनिक अवधारणाएं</u>** : भारतीय सड़क कांग्रेस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और विश्व सड़क संगठन द्वारा 05 मई, 2021 को **रोड़ टनल रिसेंट ट्रेंड्स, इनोवेशन्स एंड वे फॉरवर्ड** विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया था। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए 'सुरंगों और प्री-कास्ट तकनीक का उपयोग करके नदियों और समुद्र के पानी के भीतर सुरंगों' का निर्माण करने के तरीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने हितधारकों से सुरक्षा पहलुओं से समझौता किए बिना पूंजीगत व्यय को कम करने के लिए सुरंग बनाने हेतु किफायती और आधुनिक तकनीकों के साथ आगे आने का आग्रह किया।

4. **<u>टायरों के लिए रोलिंग रजिस्टंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड</u>** : मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 95 में संशोधन करने के लिए 17 मई 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसमें टायरों का रोलिंग रजिस्टंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड उत्सर्जन की आवश्यकताओं को यूरोपीय विनियमों के स्टेट-2 के अनुरूप करने का प्रस्ताव किया गया है। रोलिंग रजिस्टंस से ईंधन दक्षता प्रभावित होती है और वेट ग्रिप गीली सड़क पर टायरों का ब्रेक लगाने से संबंधित है।

5. **<u>हाइब्रिड कृषि ट्रैक्टरों और विशुद्ध इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनें:</u>** मंत्रालय ने हाइब्रिड कृषि ट्रैक्टरों और विशुद्ध इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनों के संबंध में सुरक्षा आवश्यकताओं को सम्मिलित करने के लिए एक नया नियम 125जे अंत:स्थापित करने हेतु 25 मई, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन किया है। 25 मई, 2021 को और उसके बाद निर्मित ए6 (हाइब्रिड) और ए7 (विशुद्ध इलेक्ट्रिक) श्रेणी के कृषि ट्रैक्टरों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेनें, जब

तक कि संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक समय-समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 168:2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी।

6. **<u>एथेनॉल और उसके मिश्रणों के लिए सुरक्षा मानक:</u>** मंत्रालय ने निर्जल इथेनॉल या गैसोलीन के साथ इथेनॉल के मिश्रण से चलने वाले श्रेणी एल (दो और तीन पहिया वाहन और क्वाड्रिक-साइकिल), एम (चार और अधिक पहिया, यात्री वाहन) और एन (चार और अधिक पहिया, माल वाहन) श्रेणी के मोटर वाहनों की सुरक्षा आवश्यकताओं को सम्मिलित करने के लिए एक नया नियम 115के अंत:स्थापित करने हेतु दिनांक 25 मई 2021 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन किया गया है। ये सुरक्षा आवश्यकताएं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (2016 का) के तहत संबंधित मानक अधिसूचित होने तक समय-समय पर संशोधित एआईएस 171:2021 के अनुरूप होंगी।

7. **<u>बैटरी चालित वाहनों को शुल्क के भुगतान से छूट</u>**: मंत्रालय ने 27 मई 2021 की मसौदा अधिसूचना के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नया पंजीकरण चिह्न प्रदान करने का शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव किया है। यह ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

8. **<u>"जोखिम वाले कार्गो" के परिवहन के लिए प्रशिक्षित ड्राइवर:</u>** जारी कोविड -19 महामारी के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में लिक्विड ऑक्सीजन (एलओएस) के त्वरित और सुचारू परिवहन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित ड्राइवर और जिनके पास **'जाकखम वाले कार्गो'** लाइसेंस है केवल उन्हें ही लिक्विड ऑक्सीजन (एलओएस) ट्रकों को चलाने की अनुमति है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने 20 मई, 2021 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक पूल बनाने की सलाह दी है। अगले कुछ हफ्तों में लगभग 500 ड्राइवर उपलब्ध कराने पर तत्काल ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसे दो महीने के अंत तक बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा।

9. **<u>स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें</u>**: स्थायी वित्त समिति द्वारा मई, 2021 माह में कुल 3 परियोजनाओं पर विचार किया गया। एसएफसी द्वारा 95.92 किलोमीटर लंबाई वाली और कुल 9130.93 करोड़ रुपये की पूंजी की 3 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई।

<u>**</u>**